बिलों के प्रत्यक्ष डिस्काउंटिंग की योजना- क्रेताओं के लिए

1. उद्देश्य

बिल डिस्काउंटिंग योजना के अधीन क्रेडिट, विद्युत परियोजनाओं में विस्तार, आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापना के लिए आस्थगित भुगतान आधार पर मशीन, उपकरण और अन्य पूंजीगत वस्तुओं (जिसमें मशीनों के साथ पूर्ति होने वाली सहायक सामग्री और स्पेयर हैं) के क्रय के लिए विद्युत क्षेत्र में क्रेता (वास्तविक प्रयोगकर्ता) के लिए उपलब्ध है।

इस नीति के अंतर्गत पुराने उपकरण/ मशीन के अधिग्रहण के वित्तपोषण; ग्रास रूट/नई परियोजनाओं या बड़े विस्तार/ विविधीकरण जिसमें विस्तृत आकलन की आवश्यकता होगी, पीएफ़सी या अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान की अन्य योजना के अधीन वित्तपोषित उपकरण/ मशीन/ अन्य पूंजीगत वस्तुएं नहीं आएंगी।

2. पात्र विद्युत संस्थाएं

- मौजूदा ऋणकर्ता (जिनके पास लघु अवधि ऋण परियोजना वित्त के अधीन बकाया राशि है)। नई विद्युत संस्थ/ ऋणकर्ता की स्थिति में, पीएफ़सी इस योजना के अधीन विस्तार सुविधा से पहले विद्युत संस्था का आकलन करेगा।
- पीएफ़सी नीति के अनुसार, राज्य और केंद्रीय क्षेत्र ऋणकर्ता को चूककर्ता घोषित नहीं किया जाएगा।
- सुधार-प्रक्रिया द्वारा निर्मित निजी डिस्कॉम जो पीएफ़सी या अन्य बैंकों/ ऋणदाताओं के साथ चालू चूक में नहीं हैं।

3. क्रेता

राज्य बिजली बोर्ड/ सरकारी विभाग; राज्य उत्पादन/ पारेषण/ वितरण कंपनियां; केंद्रीय क्षेत्र निगम/ कंपनियां और निजी वितरण कंपनियां), ऋणकर्ता (अर्थात् योजना के अधीन उपकरण/ मशीन/ पूंजीगत वस्तुओं के क्रेता) हो सकते हैं।

4. प्रक्रिया

(क) पात्र क्रेता कॉ पीएफ़सी से बिल डिस्काउंटिंग सीमा प्राप्त करनी होगी जो मंजूरी तारीख से दो वर्षों के लिए वैध होगी।

(ख) विक्रेता द्वारा क्रेता को उपकरण/ मशीन/ पूंजीगत वस्तुओं की डिलिवरी, खपत बिलों के द्वारा होती है। क्रेता को क्रय की सभी वाणिज्यिक शर्तों का अंतिम निर्णय लेने और क्रय औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है।

(ग) विक्रेता को पीएफ़सी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अर्ध-वार्षिक किश्तों में खपत बिलों के सेट का आहरण करना होगा।

(घ) बिल क्रेता द्वारा स्वीकृत और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा सह-स्वीकृत या गारंटित हों।

(ङ) बिल पीएफ़ के पक्ष में विक्रेता द्वारा समर्थित और डिस्काउंटिंग के लिए प्रस्तुत हों।

(च) पीएफ़सी बिल डिस्काउंट करेगा और क्रेता/ गारंटी देने वाले बैंक से संबंधित देय तारीख पर बिल राशियां (मूल और ब्याज) प्राप्त करेगा।

5. सहायता

बीमा, भाड़ा और कर सहित 100 प्रतिशत बीजक मूल्य, 300 करोड़ प्रति ऋणकर्ता पर प्रतिबंधित है। लेनदेन की न्यूनतम राशि 1.00 करोड़ रूपए होगी। लेनदेन में एक से अधिक उपकरण/ मशीन शामिल हो सकते हैं जिसकी लागत 1 करोड़ रूपए से कम हो सकती है।

6. समय-अवधि

तीन वर्ष या कम, 5 वर्ष और 7 वर्ष।

7. ब्याज-दर

समय-समय पर अधिसूचित होने वाली ब्याज-दर के अनुसार।

8. प्रतिभूति

रीडयूसिंग शेष पर ब्याज सहित अर्ध-वार्षिक किश्तें।

9. स्टांप ड्यूटी

योजना के अधीन आहरित बिल भारतीय स्टांप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आकृष्ट हैं।

टिप्पणी: ऋणकर्ता को "क्रेता के लिए डीडीएस" और "बायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट योजना" के अधीन अधीन अधिकतम कुल मंजूरी 300 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होगा।